



क्र. पा. २४/छत्तीसगढ़ राहत आदेश/1110

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL.,  
(ACCOUNT & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

दिनांक :

Date : 18/12/2024

वर्ग: उप महालेखाकार (प्रशा. व ले.) प्रकाश  
ए.जी./डी.ए.जी. डायरी सं. 4524  
दिनांक: 30-12-24

प्रति,

1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र.-5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा	520002
3.	O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Nahariagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, बीरचंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं-4, एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, एग्जीविशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, रांची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरिन लाइन्स, मुम्बई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलॉंग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, एजवल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली, पी.ओ.-टार्डोंग, गंगटोक	737102
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई	600018

12R-116  
24/12/24  
2024

263

जयपुर  
उप महालेखाकार  
दिनांक

30-12-24

25.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पो.ऑ.-कुंजाभवन, अगरतल्ला	799006
26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहारादून आंबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहारादून	248171
27.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	226010
28.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	211001
29.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता	700001
30.	कंट्रोलर ऑफ अकाउण्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली	110021
31.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा	403101
32.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एवं ट्रेजरी. पाण्डिचेरी सरकार, पाण्डिचेरी	605001
33.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद	500001
34	वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, त्रिकुट-II भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066


विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.10.2024 से सातवें वेतनमान में 50% एवं छठवें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/ पी.ए./ छत्तीसगढ़ राहत आदेश/ वि.मु.प्रा.पत्र/977-1011, दिनांक-04.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन हेतु सातवें वेतनमान में 50% एवं छठवें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र में त्रुटिवादा आदेश लागू होने का दिनांक 01.07.2024 दर्ज कर दिया गया था परन्तु वास्तव में यह आदेश दिनांक 01.10.2024 से लागू होगा। अतः उक्त संदर्भित पत्र में दिनांक 01.07.2024 को दिनांक 01.10.2024 पढ़ा जावे।

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें। संबन्धित आदेश की प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट [finance.cg.gov.in](http://finance.cg.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।

भवदीय  
  
 वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.  
 दिनांक:

पृ.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/

प्रतिलिपि:

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: 894/एफ 2013-04-00416/वि/नि/ चार, दिनांक 20.11.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ता/-  
 वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.